(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 13/2019-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 23 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, उपवाक्य (क) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)
‘(कक) किसी स्थानीय प्राधिकरण को कोई ऐसा विद्युत चालित वाहन, जो 12 से अधिक यात्रियों को ले जा सकता है ; या स्पष्टीकरण. - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "विद्युत चालित वाहन" का अर्थ ऐसे वाहन से है जो सीमा शुल्क टैरिफ़ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में अध्याय 87 के अधीन आता है, और जो पूरी तरह से विद्युत ऊर्जा से चलता है। यह विद्युत ऊर्जा या तो बाहरी स्रोत से आती है या सड़क वाहनों में फिट किए गए एक या एक से अधिक विद्युत बैटरी से आती है।”;’ ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अगस्त, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/47/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 4/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, सा.का.नि 257 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।